

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 14 / 07 / 2026

सं0सं0-14/पद0-704/2025- 12640 /सा0प्र0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-14/पद0- 704/2025-12429, दिनांक-12.07.2026 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 45 पदाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया। उक्त अधिसूचना की कंडिका-1 में अंकित सारणी के क्रमांक-3, 4, एवं 21 पर अंकित पदाधिकारियों क्रमशः श्री रवि राकेश, बि0प्र0से0 को0क्र0-399/26, गृह जिला-पू0 चम्पारण, श्रीमती रोजी कुमारी, को0क्र0-468/26, गृह जिला-पूर्णिया तथा श्री प्रशांत अभिषेक, को0क्र0-535/26, गृह जिला-नालंदा के स्थानांतरण/पदस्थापन को निरस्त किया जाता है।

2. श्रीमती रोजी कुमारी, को0क्र0-468/26, गृह जिला-पूर्णिया, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अररिया (अधिसूचित-उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भागलपुर) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अररिया के पद पर पूर्ववत बनी रहेंगी।

3. श्री रवि राकेश, को0क्र0-399/26, गृह जिला-पू0 चम्पारण, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, पूर्णिया (अधिसूचित-उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अररिया) को स्थानांतरित करते हुए उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-14/पद0-704/2025-12429, दिनांक-12.07.2026 से आच्छादित पदाधिकारी श्रीमती चाँदनी कुमारी, को0क्र0-568/26, गृह जिला-रोहतास, अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, प0 चम्पारण के पद पर पूर्ववत बनी रहेंगी।

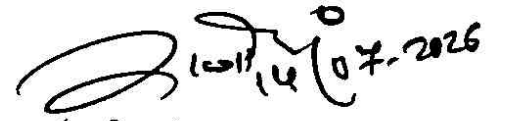
5. श्री प्रशांत अभिषेक, को0क्र0-535/26, गृह जिला-नालंदा, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, गोपालगंज (अधिसूचित-अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा) अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, गोपालगंज के पद पर पूर्ववत बने रहेंगे।

14.07.2026

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-14/पद0-704/2025-12418, दिनांक-10.07.2026 की कंडिका-1 में अंकित सारणी के क्रमांक-7 पर अंकित पदाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द, बि0प्र0से0, को0क्र0-588/26, गृह जिला-प0 चम्पारण, का जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा के पद पर किया गया स्थानांतरण/पदस्थापन श्रावणी मेला, 2026 की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा।

7. विभागीय अधिसूचना संख्या-12429, दिनांक-12.07.2026 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

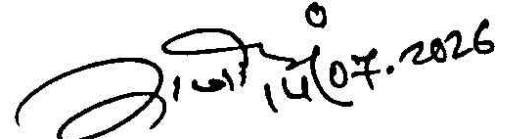


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/पद0-704/2025- 12640 पटना-15, दिनांक- 14/07/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(राजीव रंजन दास)

सरकार के उपसचिव।